राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 3113/2005/अजमेर

श्री चन्दीराम पुत्र श्री नारूमल, कर्ता चन्दीराम नारूमल एण्ड सन्स, एच.यू.एफ., रेम्बल रोड, अजमेर। .....प्रार्थीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, अजमेर।
2.श्री प्रताप कुमार पुत्र श्री कोड़मल जेठनानी, जाति–सिंधी, निवासी–आनासागर सरक्यूरल रोड, अजमेर । मृतक जरिये विधिक वारिसानः–
श्री अशोक जेठानी, पुत्र स्व. श्री प्रताप कुमार, जाति–सिंधी, निवासी–डी–1, जीवनविहार कॉलोनी, मानसिंह के सामने, अजमेर । अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अशोक माथुर, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से.
श्री कंवर दानिश,
अभिभाषक। .....अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19.06.2014

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), वृत–अजमेर (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 171/2000 में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.04.2005 के विरूद्ध भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 56 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा आवासीय सम्पति तीन मंजिला पुख्ता पट्टीपेश ए.एम.सी. संख्या 15/38=16/635=8/900 जो कि कवंडसपुरा, अजमेर में स्थित है, को अप्रार्थी संख्या–2 से दिनांक 10.04.1998 से रूपये 4,11,000/– में क्रय कर, लिखित ''इकरारनामा'' (agreement to sale) दिनांक **18.04.1998** को उप–पंजीयक, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे उप–पंजीयक द्वारा पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–1339, क्रम संख्या–1877 पृष्ठ संख्या–63 व अतिरिक्त पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या–2362 पृष्ठ संख्या–154 से 159 पर दस्तावेज पंजीकृत कर, संबंधित पक्षकार को लौटा दिया गया। तत्पश्चात्, वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा दस्तावेज पर सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू पर मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता का आक्षेप किये जाने के अनुसरण में अधिनियम की धारा 47(ए)(3) के तहत् रेफरेंस कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी अधीन आदेश दिनांक

लगातार.....2

25.04.2005 से रेफरेन्स के प्रस्तावानुसार सम्पत्ति की मालियत रूपये 20,10,949/— निर्धारित करते हुए तदनुसार कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क व शास्ति सहित कुल राशि रूपये 1,71,000/— वसूली का आदेश पारित किया गया। प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश के विरूद्व यह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र सहित पेश की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति क्रय कर, संबंधित दस्तावेज तत्समय की प्रचलित दर के आधार पर पंजीबद्ध करवाये गये थे। तत्पश्चात्, कलक्टर मुद्रांक द्वारा आदेश दिनांक 25.04.2005 पारित करने के उपरांत ही ज्ञात हुआ कि उक्त आदेश के जरिये मांग राशि 1,71,000/— कायम की गयी है । कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रार्थीगण को इस संबंध में किसी प्रकार का कोई नोटिस सुनवायी हेतु प्राप्त नहीं हुआ एवं प्रार्थी को सुनवाई एवं जवाब का समुचित अवसर प्रदान किये बिना साईक्लोस्टाईल्ड प्रारूप में पारित किया गया निगरानी अधीन आदेश गैर कानूनी एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। इसके अतिरिक्त तर्क दिया कि विवादित आदेश पूर्व में टंकित **"साईक्लोस्टाईल्ड"** कागज़ पर खाली स्थानों को भरकर, जारी किया गया है, जिसमें स्वयम् के मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में (2005) आर.आर.डी. 321, (2010) ए.आई.आर. एस.सी.डब्लू 3277 को प्रोद्धरित कर, पारित आदेश दिनांक 25.04.2005 को अनुचित एवम् अविधिक होने के कारण अभिखण्डित कर, अपास्त करने की प्रार्थना की गयी।

अग्रिम कथन किया कि निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में उल्लेखित यथेष्ट एवं युक्तियुक्त कारणों के आधार पर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा रेफरेंस स्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थीगण की निगरानी अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

लगातार.....3

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब बाबत उल्लेखित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा हस्तगत प्रकरण के संबंध में सुनवायी हेतु नोटिसेज जारी किये गये हैं जो रिकॉर्ड पत्रावली पर मौजूद है परन्तु उक्त नोटिसेज तामिलशुदा नहीं है । अतः यह स्पष्ट है कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा जारी नोटिसेज की तामिली को सुनिश्चित किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। यही नहीं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए रेफरेन्स अनुसार बिक्रीत सम्पति की मालियत निर्धारित कर इस पर देय कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क व शास्ति की राशि वसूली हेतु साईक्लोस्टाइल प्रारूप में निगरानी अधीन आदेश दिनांक 25.04.2005 पारित किया गया है। विद्वान कलक्टर द्वारा पारित आदेश **साईक्लोस्टाईल प्रपत्र में खाली स्थान भरकर पारित किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान कलक्टर द्वारा हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के संबंध में संचेतन मस्तिष्क से गहन विचार कर निष्कर्ष अवधारित नहीं किये गये हैं।** अतः विवादाधीन पारित आदेश को अपास्त कर, प्रकरण कलक्टर को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस संबंध में सम्बद्ध पक्षकारों को पुनः सुनवायी का युक्तियुक्त मौका प्रदान कर, इस संबंध में विधिसम्मत निर्णय पारित करने की कार्यवाही करें।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश दिनांक 25.04.2005 एतद्द्वारा अपास्त किया जाकर प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं विधिक प्रावधानों के अवलोकन के पश्चात प्रश्नगत सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू का निर्धारण करते हुए तद्नुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क देयता का विधिसम्मत आदेश पुनः पारित किया जावे।

निर्णय सुनाया गया।

19.6.2014

(मदन लाल)
सदस्य